कम्प्यूटर सं.- 2122008.

पत्र सं0/ /जी0एस0टी0 टैक्स ऑडिट/2021–22/ 45 /वाणिज्य कर।

कार्यालयः–कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश,
(जी0एस0टी0 टैक्स ऑडिट अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक:: 21 जून, 2021

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर, (टैक्स ऑडिट/कार्यपालक/कार्पो0सर्किल)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषयः–वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के लिए जी0एस0टी0 ऑडिट हेतु जोनवार/टर्नओवरवार पंजीकृत व्यक्तियों का अलग–अलग श्रेणी में पुनर्निर्धारण करते हुए ऑडिट हेतु चयनित पंजीकृत व्यक्तियों की पुनर्निर्धारित सूची के संदर्भ में।

जोनवार वर्गीकरण :–

जोन का पुनर्वर्गीकरण का आधार 50 करोड़ टर्नओवर से ऊपर के व्यापारियों की संख्या को बनाया गया है। जिन जोन में 50 करोड से ऊपर के व्यापारियों (निर्माता, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर एवं अन्य) की संख्या 120 से अधिक है, उन्हें श्रेणी–ए में, 120 से 100 तक श्रेणी–बी में तथा 100 से कम संख्या वाले को श्रेणी–सी में वर्गीकृत किया जाता हैं।

उपरोक्तानुसार जोन का वर्गीकरण निम्नवत है:–

श्रेणी–ए,	श्रेणी–बी,	श्रेणी–सी,
1. गौतमबुद्धनगर	1. मेरठ	1. सहारनपुर
2. गाजियाबाद–प्रथम	2. अलीगढ	2. बरेली
3. लखनऊ–प्रथम	3. मुरादाबाद	3. वाराणसी–द्वितीय
4. गाजियाबाद–द्वितीय	4. गोरखपुर	4. अयोध्या
5. लखनऊ–द्वितीय		5. प्रयागराज
6. आगरा		6. झॉसी
7. कानपुर–प्रथम		7. इटावा
8. कानपुर–द्वितीय		
9. वाराणसी–प्रथम		

बडे मध्यम एवं छोटे करदाता का श्रेणीवार वर्गीकरण :–

पूर्व में वर्गीकृत बडे, मध्यम एवं छोटे करदाता (क, ख एवं ग) में छोटे करदाता की न्यूनतम टर्नओवर की सीमा 0 लाख से परिवर्तित करते हुए, ट्रेडर्स की पंजीयन सीमा को ध्यान में रखकर 40

लाख की जाती है। जिसके आधार पर उक्त तीनों श्रेणी के जोन्स के लिए पंजीकृत व्यक्तियों को उनकी टर्नओवर के अनुसार निम्न प्रकार 03 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है–

जोन	बड़े करदाता (टर्नओवर) (श्रेणी–क)	मध्यम करदाता (श्रेणी–ख)	छोटे करदाता (श्रेणी–ग)
श्रेणी–ए	≥40 करोड़	15 से 40 करोड़	40 लाख से 15 करोड़
श्रेणी–बी	≥25 करोड़	10 से 25 करोड़	40 लाख से 10 करोड़
श्रेणी–सी	≥15 करोड़	5 से 15 करोड़	40 लाख से 5 करोड़

चयनित सूची संबन्धित जोन के जोनल एडीशनल कमिश्नर तथा ज्वाइंट कमिश्नर (टैक्स ऑडिट) की लॉग–इन आई0डी0 तथा विभागीय वेबसाईट comtax.up.nic.in पर उपलब्ध करायी जा रही है।

चयनित पंजीकृत व्यक्तियों का वर्ष 2017–18 से सम्बन्धित ऑडिट सम्पादित करने की समय–सीमा 31.03.2022 तथा वर्ष 2018–19 से सम्बन्धित ऑडिट सम्पादित करने की समय–सीमा 30.09.2022 निर्धारित की जाती है।

21/6/2021

(मिनिस्ती एस0)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।